

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी (क्षे), रेवाड़ी

वन परिसर, कृष्णा नगर, रेवाड़ी दूरभाष/फैक्स: 01274-254568 Email: dforewari2004@gmail.com

क्रमांक: 2843

दिनांक: 28-03-2022

सेवा में :

कार्यकारी अभियन्ता,
ट्रांसमिशन लाईन लिमिटेड,
हरियाणा, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
रेवाड़ी।

विषय : Diversion of 0.4455 ha. Forest land for construction of 132 KV S/C Transmission line from 132 KV D/C Sub Station Lula Ahir to Buroli Sub Station and Buroli Sub Station and Buroli to Pali Gothra Sub Station through various strip Forests under forest Division and District, Rewari.

Online Proposal No.- FP/HR/Trans/144364/2021

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का पत्र क्रमांक 9-HRB023/2022-CHA दिनांक 23.03.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति सी.ए. एन.पी.वी एवं अन्य चार्जिज कि राशि ऑनलाईन चालान जनरेट करके जमा करवाने हेतु प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न)

अतः इस सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि आप भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय कि वेबसाईट www.parivesh.nic.in पर अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी से ऑनलाईन चालान जनरेट करके चालान में अंकित खाते में निम्न विवरणानुसार राशि जमा करवाए

Sr.No.	Particulars of Charges	Amount
1	Compensatory Afforestation	829598.5
2	Additional Compensatory afforestation	196218.08
3	Barbed wire fencing	1137600
4	Felling	96804
5	Supervisory/Overhead/misc. Charges	82959.85
6	Exigency Charges	549767.505
7	Net Present value	547336.845
8	G. Total	3440285

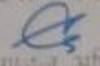
अतः उपरोक्त अनुसार राशि जमा करवाकर बैंक चालान कि प्रति यूटीआर नम्बर सहित यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजे ताकि स्टेज-II स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।


वन मण्डल अधिकारी
रेवाड़ी।

पृ० क्रमांक: 2844-45

दिनांक: 28-03-2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, रेवाड़ी तथा नाहड को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रस्तावित साईट पर बिना स्टेज-II स्वीकृति के कार्य न होना सुनिश्चित किया जाए तथा विषयांकित प्रस्ताव में सी.ए साईट का चयन करके जी.पी.एस कोर्डिनेट तथा कै.एम.एल फाईल सहित सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजे, अन्यथा किसी प्रकार कि देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। उक्त आदेशों कि दृढ़ता से पालना कि जाए।


वन मण्डल अधिकारी
रेवाड़ी।